संख्या-969/2018/1860/22-2-2018-17(504)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2018***

विषय:- **केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-शामली** की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 07.08.2018, दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार **बन्दी वीर सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी-बरनावी, थाना-कैराना, जनपद-शामली** का रहने वाला है। **बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1984 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचा, कुल्हाड़ी, तलवार व लाठियों से मारकर 12 व्यक्तियों की हत्या कारित की**। उक्त अपराध हेतु **बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 452, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 18.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2007 द्वारा लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2018 तक 14 वर्ष 03 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है**। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका **समिति द्वारा बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है** ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी **वीर सिंह** (बन्दी संख्या-15707) पुत्र **श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी जनपद-शामली** की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-969/2018/1860(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, **शामली** ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, **केन्द्रीय कारागार, आगरा**।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in